खातेदारी भूमि में खननपट्टा/क्वारी लाइसेंस हेतु आवेदन
(4 हेक्टर तक के क्षेत्र के लिये)

1. आवेदक द्वारा स्वयं की खातेदारी भूमि में आवेदन पत्र केवल ऑनलाईन प्रस्तुत किया जायेगा।
2. आवेदन पत्रों की प्रोसेसिंग आवेदन पत्र प्राप्ति की वरीयता के अनुसार की जायेगी।
3. ऑनलाईन आवेदन के 15 दिवस के भीतर आवेदक को आवेदन से संबंधित समस्त दस्तावेज (लिंक–दस्तावेज) संबंधित खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता को प्रस्तुत करने होगें ।
4. आवेदक को संबंधित शुल्क ऑनलाईन जमा कराना होगा।
5. यदि खातेदारी भूमि राजस्व अभिलेख में संयुक्त खातेदारी से दर्ज है तो समस्त खातेदारों द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। खनन पट्टा/क्वारी लाइसेंस समस्त सह–खातेदारों के संयुक्त नाम से जारी किया जायेगा तथा खनन पट्टे/क्वारी लाइसेंस की शर्तों की पालना एवं बकाया की पूर्ण राशि जमा करने का दायित्व प्रत्येक सह–खातेदार का रहेगा।
6. आवेदक से समस्त पत्राचार ई–मेल तथा डाक द्वारा किया जायेगा।

➢ विस्तृत प्रक्रिया :–

1- आवेदन–पत्र ऑनलाईन प्राप्त होने के 7 दिवस में फिल्ड स्टाफ द्वारा आवेदक की उपस्थिति में हल्का पटवारी के साथ मौके पर आवेदित क्षेत्र के लिए सीमांकन किया जायेगा। आवेदक द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में चाहे जाने वाले क्षेत्र के कॉर्नर पॉईन्ट्स बताये जायेगें जिसकी पुष्टि हल्का पटवारी द्वारा की जायेगी कि उक्त सभी पॉईन्ट्स आवेदक की खातेदारी भूमि में अमुक खसरे में आते है। फिल्ड स्टाफ द्वारा उसी समय उन कॉर्नर पॉइन्ट्स के लेटिट्यूड व लोंगिट्यूड लिये जायेगें। इसके अलावा फिल्ड स्टाफ द्वारा पटवारी के खसरा नक्शे में दो मुस्तकिल बिन्दुओं जैसे कुंआ इत्यादि के भी लेटिट्यूड व लोन्गिट्यूड लिये जायेगें। उक्त की मौका रिपोर्ट बनाई जायेगी जिस पर आवेदक एवं हल्का पटवारी के हस्ताक्षर लिये जायेगें। आवेदक को पाबंद किया जायेगा कि वह हल्का पटवारी से मुस्तकिल बिन्दुओं को घेरते हुए खसरा ट्रेस की मूल प्रति कार्यालय में तीन दिवस में प्रस्तुत करे।

2- **सीमांकन के पश्चात्** :–

- मानचित्रकार द्वारा क्षेत्र रिक्तता, अरावली, वन सीमा से दूरी, खसरा सूपर ईम्पोजिशन इत्यादि के संबंध में स्क्रूटनी कर 7 दिवस में रिपोर्ट की जायेगी।

- मानचित्रकार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में क्षेत्र रिक्त नहीं होने अथवा अन्य कमी होने पर आवेदक को संशोधित मानचित्र मय लेटिट्यूड एवं लोंगिट्यूड प्रस्तुत करने हेतु खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियंता द्वारा 3 दिवस में लिखा जायेगा।
- क्षेत्र स्वीकृति योग्य बताया जाने पर खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता द्वारा वरिष्ठ भूवैज्ञानिक/ भूवैज्ञानिक के साथ आवेदक की उपस्थिति में 7 दिवस में क्षेत्र का मौका निरीक्षण कर खनिज उपलब्धता एवं ईको–फ्रेण्डली के बिन्दुओं बाबत् मौके पर जॉच की जावेगी।

3- वन पुष्टि करवाया जाना आवश्यक होने पर (प्रमाणित जी.टी. शीट से 500 मीटर से कम दूरी पर आवेदित क्षेत्र स्थित होने पर) पूर्व सीमांकन होने के अधिकतम 03 दिन में आवेदक को वन विभाग का निर्धारित शुल्क जमा करवाने हेतु लिखा जावेगा जिसके जमा होने पर आवश्यक पत्रादि वन विभाग को अधिकतम 03 दिवस में प्रेषित किये जावें।

4- क्षेत्र स्वीकृत योग्य पाये जाने पर खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता द्वारा सक्षम अधिकारी को मंशा–पत्र जारी करने के प्रस्ताव सीमांकन रिपोर्ट प्राप्त होने/ वन विभाग से पुष्टि प्राप्त होने के अधिकतम 07 दिवस में प्रेषित किये जावें।

5- सक्षम अधिकारी द्वारा खनन पट्टा स्वीकृति हेतु मंशा–पत्र के प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि से अधिकतम 07 दिवस में मंशा पत्र जारी किया जावें।

6- खनि अभियन्ता/ सहायक खनि अभियन्ता द्वारा आवेदन–पत्र के ऑन–लाईन प्राप्ति तिथि से अधिकतम 2 माह में (वन पुष्टि के प्रकरणों को छोड़ते हुए) मंशा–पत्र के प्रस्ताव सक्षम अधिकारी को प्रेषित नहीं करने पर प्रकरणवार कारण दर्शाते हुए सम्बन्धित अतिरिक्त निदेशक (खान) को अवगत कराया जाना होगा।

7- खनन पट्टा स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा प्रस्ताव प्राप्त होने की अधिकतम 07 दिवस की अवधि में मंशा–पत्र जारी नहीं करने पर मंशा–पत्र उनके उच्चतर अधिकारी द्वारा जारी किये जावेंगे

8- आवेदक द्वारा मंशा–पत्र की ऑपचारिकताएं पूर्ण करने पर अधिकतम 07 दिवस में स्वीकृति आदेश जारी किये जायेंगे।

9- आवेदन पत्र में कमी पूर्ति कराने/अस्वीकृति हेतु प्रस्तावित करने से पूर्व 30 दिवसीय नोटिस खनि अभियन्ता/ सहायक खनि अभियन्ता द्वारा जारी किया जाएगा ।

➢ आवश्यक दस्तावेज :–

आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित दस्तावेज की स्वप्रमाणित स्केन प्रति अपलोड करनी होगी।

1. फोटो आई.डी. व एड्रेस प्रूफ हेतु आधार कार्ड/वोटर आई.डी कार्ड अथवा ड्राईविंग लाइसेंस।
2. पेन कार्ड अथवा जी.एस.टी.एन. की प्रति।
3. आवेदित क्षेत्र जिस खसरे में आता है, उस खसरे की नवीनतम जमाबंदी।
4. यदि आवेदित खसरे में एक से अधिक खातेदार हो तो ऑन–लाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाले आवेदक के अतिरिक्त अन्य सह–खातेदारों द्वारा खनन पट्टा संयुक्त रूप से आवेदक के साथ लेने के संबंध में सहमति की प्रति।
5. आवेदक स्वयं अथवा संयुक्त रूप से आवेदक के परिवार के पक्ष आवेदित/स्वीकृत खनिज रियायतों व ठेकों तथा कोई विभागीय बकाया नहीं होने के संबंध में शपथ पत्र। (लिंक) कंपनी/भागीदारी फर्म के मामले में उक्त शपथ पत्र सभी निदेशकों/भागीदारों तथा आवेदक फर्म/कंपनी की ओर से प्रस्तुत किया जायेगा।
6. यदि आवेदक अथवा आवेदक के परिवार के पक्ष में खनिज रियायत/रायल्टी वसूली का ठेका प्रभावी रहा है अथवा वर्तमान में प्रभावी है तो संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालय का बकाया नहीं होने का प्रमाण पत्र। कम्पनी/भागीदारी फर्म के मामले में उक्त प्रमाण पत्र सभी निदेशकों/भागीदारों द्वारा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। यदि आवेदक के पक्ष में कोई भी खनिज रियायत/रायल्टी वसूली का ठेका प्रभावी नहीं रहा है तो आवेदक को इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा।(लिंक)
7. भागीदारी फर्म के मामले में भागीदारी विलेख व पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति तथा कम्पनी के मामले में मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन व सर्टिफिकेट ऑफ इनकोरपोरेशन की प्रति।
8. भागीदारी फर्म के मामले में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के पक्ष में जारी पंजीकृत पॉवर ऑफ अटोर्नी की प्रति तथा कम्पनी के मामले में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा जारी रिजोल्युशन की प्रति।

नोटः बिंदू संख्या 3 से 7 के दस्तावेजों की मूल प्रतियां एवं शेष की स्वप्रमाणित प्रतियां 15 दिवस में संबंधित ख.अ./सं.ख.अ. को प्रस्तुत करने होंगे।

➢ आवेदन संबंधित शुल्क–

1.	आवेदन शुल्क	10,000/- (Non-refundable)
2.	सीमांकन(Demarcation)	1500/- प्रति हेक्टर (Non-refundable)
3.	प्रिमियम राशि (आवेदन स्वीकृत /मंशा–पत्र जारी होने पर)	खनिज के वार्षिक डेडरेन्ट/लाइसेंस फीस का 5 गुणा (20 प्रतिशत की पांच किश्तों में) उक्त प्रिमियम राशि वार्षिक डेडरेन्ट अथवा अन्य किसी भी लाईसेंस शुल्क के विरूद्ध समायोजित नही होगा।)

➢ समय सीमा :–

1.	हार्ड कॉपी में आवेदन कार्यालय में जमा कराने का समय	15 दिवस
2.	सीमांकन (Demarcation)	7 दिवस
3.	स्क्रूटनी	7 दिवस
4.	क्षेत्र रिक्त नहीं होने पर संशोधित मेप हेतु लिखना	3 दिवस
5.	खनिज उपलब्धता एवं ईको फ्रैंडली जांच	7 दिवस
6.	वन पुष्टि हेतु शुल्क जमा	3 दिवस
7.	वन पुष्टि हेतु लिखना	3 दिवस
8.	मंशा–पत्र के प्रस्ताव	7 दिवस (अधिकतम 2 माह)
9.	मंशा–पत्र जारी करना	7 दिवस
10.	स्वीकृति आदेश	7 दिवस (मंशा–पत्र की पालना के उपरांत)

ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रियां

1- विभाग की समस्त ऑनलाईन प्रक्रियाओं में आवेदन हेतु SSOID का होना आवश्यक है । आवेदक स्वयं/फर्म की SSOID, SSO.RAJASTHAN.GOV.IN की वेबसाईट पर जाकर बना सकता है।

2- SSO की वेबसाईट लॉगिन के पश्चात आवेदन को माईन्स के आईकन पर क्लिक करना होगा।

3- क्लिक करने के बाद आवेदक को नीच दिखाई गयी स्क्रिन दिखाई देगी। जहां आवेदक को I Am First Time User पर क्लिक करना होगा।

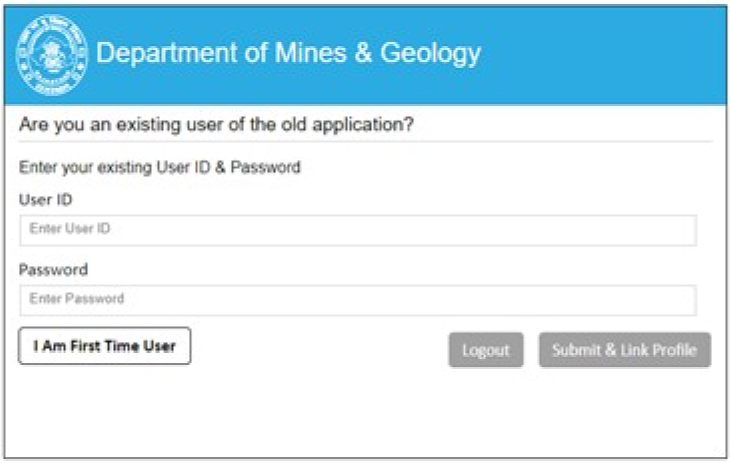

4- इस पर क्लिक करने के बाद निम्न स्क्रिन दिखाई देगी। अब "Apply for new mining lease/quarry licence/short term permit/Permit" पर क्लिक करे।

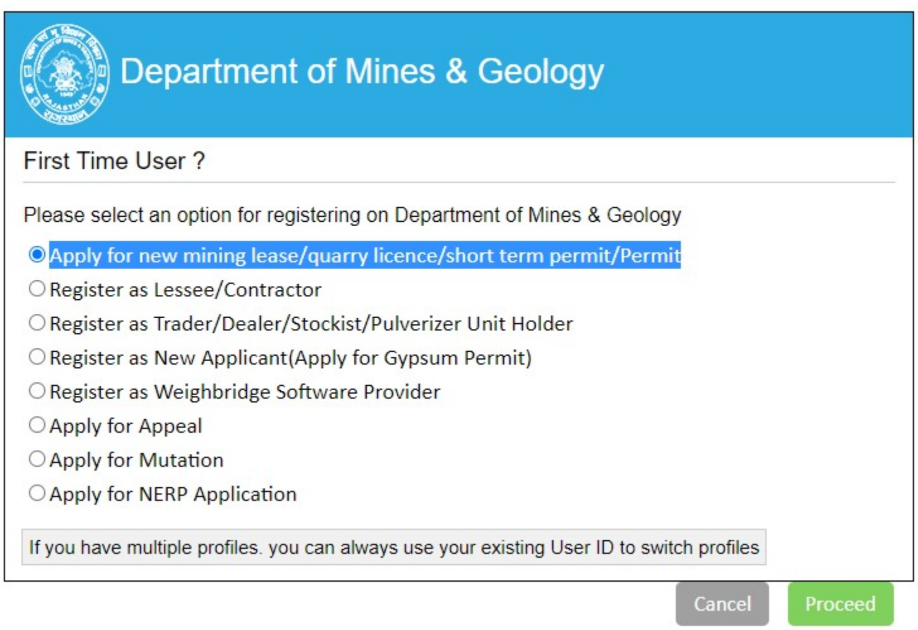

5- अब फोर्म में दर्शाय गये अनुसार समस्त फिल्ड का इन्द्राज किया जाकर Next बटन पर क्लिक करे।

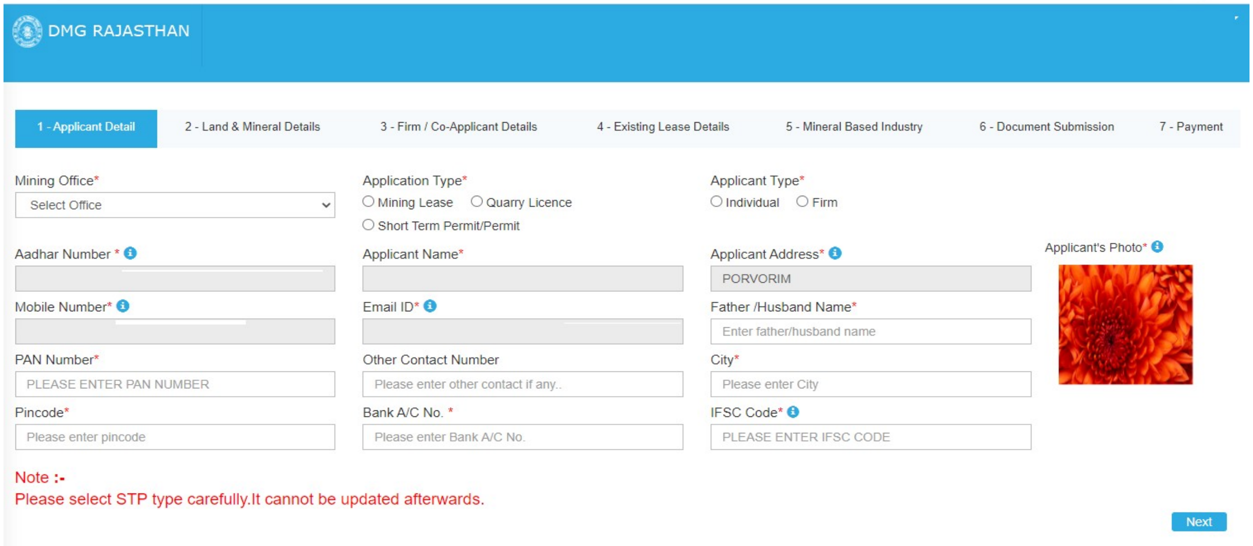

DMG RAJASTHAN

1 - Applicant Detail | 2 - Land & Mineral Details | 3 - Firm / Co-Applicant Details | 4 - Existing Lease Details | 5 - Mineral Based Industry | 6 - Document Submission | 7 - Payment

Mining Office* — Select Office

Application Type* — Mining Lease / Quarry Licence / Short Term Permit/Permit

Applicant Type* — Individual / Firm

Aadhar Number *

Applicant Name*

Applicant Address* — PORVORIM

Applicant's Photo*

Mobile Number*

Email ID*

Father /Husband Name* — Enter father/husband name

PAN Number* — PLEASE ENTER PAN NUMBER

Other Contact Number — Please enter other contact if any..

City* — Please enter City

Pincode* — Please enter pincode

Bank A/C No. * — Please enter Bank A/C No.

IFSC Code* — PLEASE ENTER IFSC CODE

Note :-

Please select STP type carefully.It cannot be updated afterwards.

Next

6- अब आपके द्वारा 2nd पेज पर खनिज एवं अवेदित क्षेत्र का विवरण इन्द्राज करना होगा।

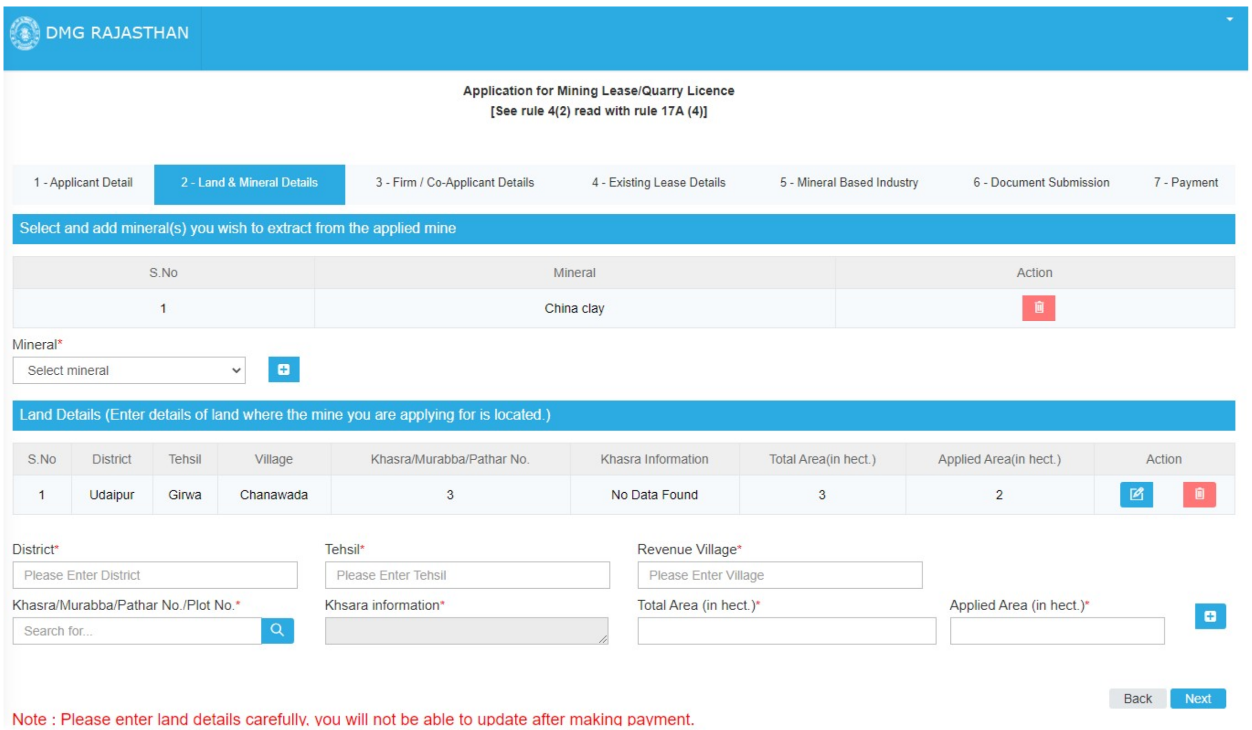

DMG RAJASTHAN

Application for Mining Lease/Quarry Licence
[See rule 4(2) read with rule 17A (4)]

1 - Applicant Detail | 2 - Land & Mineral Details | 3 - Firm / Co-Applicant Details | 4 - Existing Lease Details | 5 - Mineral Based Industry | 6 - Document Submission | 7 - Payment

Select and add mineral(s) you wish to extract from the applied mine

S.No	Mineral	Action
1	China clay	

Mineral* — Select mineral

Land Details (Enter details of land where the mine you are applying for is located.)

S.No	District	Tehsil	Village	Khasra/Murabba/Pathar No.	Khasra Information	Total Area(in hect.)	Applied Area(in hect.)	Action
1	Udaipur	Girwa	Chanawada	3	No Data Found	3	2	

District* — Please Enter District

Tehsil* — Please Enter Tehsil

Revenue Village* — Please Enter Village

Khasra/Murabba/Pathar No./Plot No.* — Search for...

Khsara information*

Total Area (in hect.)*

Applied Area (in hect.)*

Back Next

Note : Please enter land details carefully, you will not be able to update after making payment.

7- नीचे दिखाये गये 3rd पेज पर आपको फर्म/सह-भागीदार का विवरण इन्द्राज करना होगा।

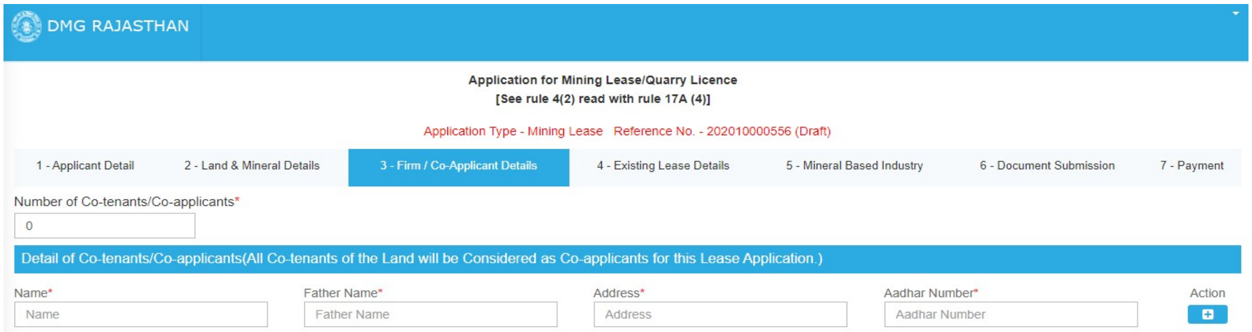

8- नीचे दिखाये गये 4th पेज पर, यदि आपके अथवा आपके परिवार या भागीदारी फर्म/कम्पनी के नाम पर राज्य में कोई खननपट्टा/लाईसेंस/ठेका धारित है अथवा कोई आवेदन किया गया है तो उसका विवरण इन्द्राज करना होगा।

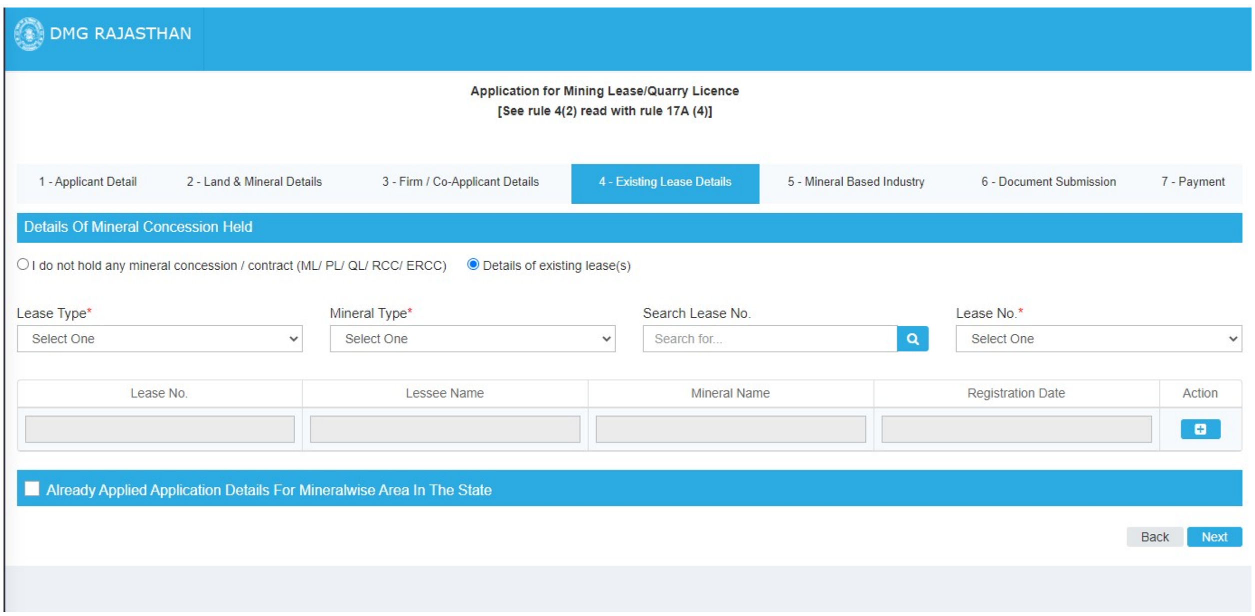

9- आपके द्वारा आवेदित इस क्षेत्र पर कोई मिनरल बेस्ड इण्डस्टी स्थापित है अथवा भविष्य में इसका कोई प्रायोजन है तो उसका विवरण नीचे दिखाये गये पेज-5 पर इन्द्राज करना होगा।

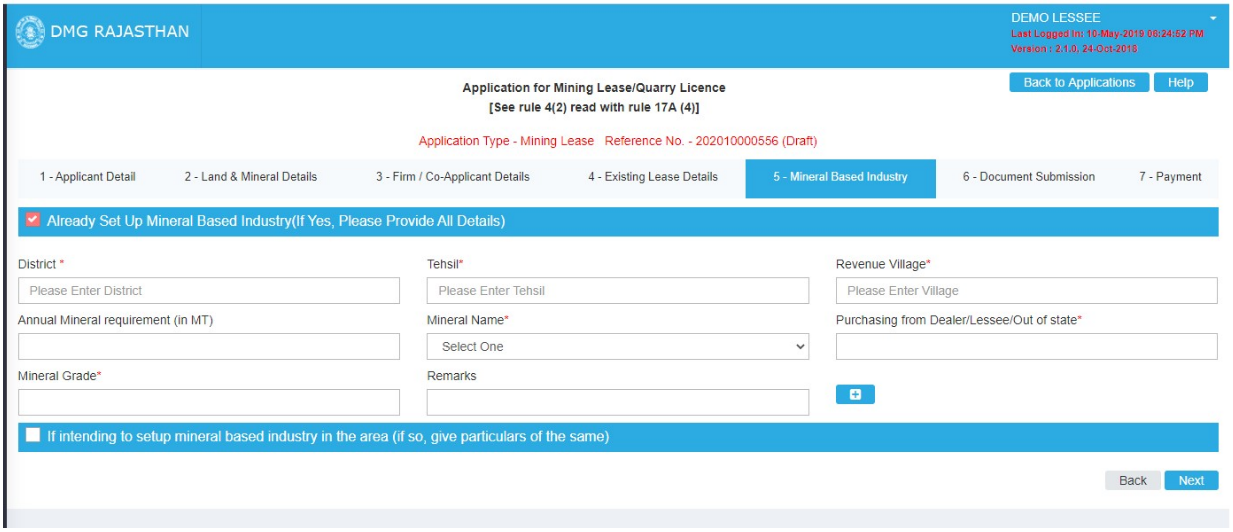

10- नीचे दिखाये गये पेज-6 पर आपको दिखायी गयी सूची अनुसार आवेदन से संबंधित समस्त स्वप्रमाणित स्केन दस्तावेजों की प्रतियां अपलोड की जानी रहेगी।

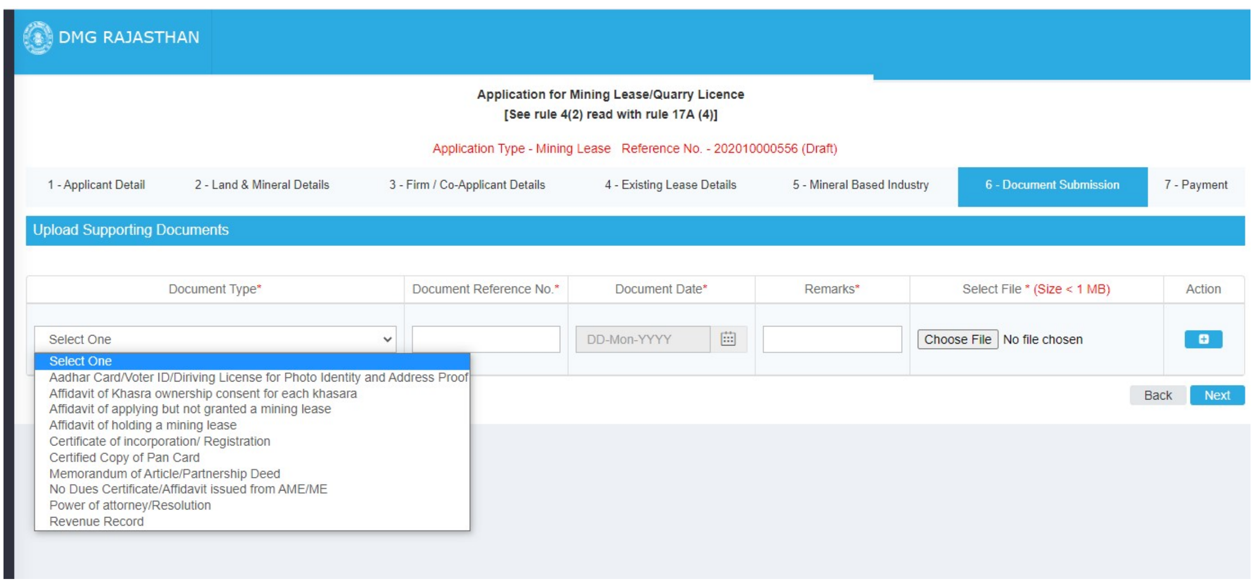

11- पेज -7 पर आपको आवेदन से संबधित शुल्क के ऑनलाईन भुगतान का प्रावधान उपलब्ध होगा। जहा आपके द्वारा Pay Online के बटन पर क्लिक कर आवेदन संबंधित शुल्क ऑनलाईन जमा कराया जा सकता है।

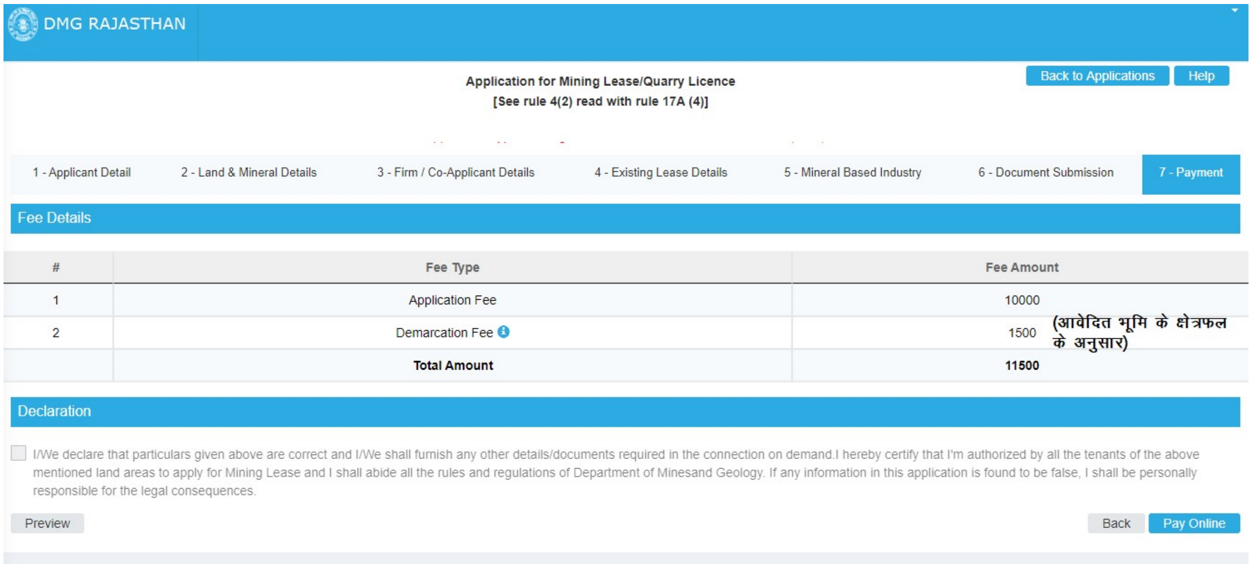

DMG RAJASTHAN

Application for Mining Lease/Quarry Licence
[See rule 4(2) read with rule 17A (4)]

Back to Applications | Help

1 - Applicant Detail | 2 - Land & Mineral Details | 3 - Firm / Co-Applicant Details | 4 - Existing Lease Details | 5 - Mineral Based Industry | 6 - Document Submission | 7 - Payment

Fee Details

#	Fee Type	Fee Amount
1	Application Fee	10000
2	Demarcation Fee	1500 (आवेदित भूमि के क्षेत्रफल के अनुसार)
	Total Amount	11500

Declaration

I/We declare that particulars given above are correct and I/We shall furnish any other details/documents required in the connection on demand.I hereby certify that I'm authorized by all the tenants of the above mentioned land areas to apply for Mining Lease and I shall abide all the rules and regulations of Department of Minesand Geology. If any information in this application is found to be false, I shall be personally responsible for the legal consequences.

Preview | Back | Pay Online

12- आवेदन शुल्क जमा कराने के बाद में आपको एक Final Submit का बटन दिखाई देगा। Final Submit के बटन पर क्लिक क्लिक करने के पश्चात् ही आवेदन संबंधित कार्यालय में सबमिट होगा।